

प्रिय,

समगोपाल नीर्य,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलाधिका, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3  
गद्योद्यम,

लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2014

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट पिटीशन नं० 2080 आफ 2011 स्टेट आफ यू०पी० मनाम विजय शर्मा एवं अन्य ने दिनांक 23-12-2011 में पारित निर्णय जिसका कार्रकारी अंश निम्नवत् है :-

" In the instant case, the Tribunal has examined the National Citizen Register, wherein it was shown that opposite party's parents names were mentioned as Sri Laxmi Narian, Son of Mata Prasad and mother Smt. Suraj Mani, wife of Laxmi Narian and they were categorized as 'Shilpkar', which admittedly belongs to scheduled caste. The Tribunal also observed that 'Kasera' is a sub caste of 'Shilpkar' as per Government order dated 12-12-1950. In fact, there are 26 sub castes of 'Shilpkar' and 'Kasera' is one of them. Thus 'Kasera' being a sub caste of 'Shilpkar' comes under the category of scheduled caste. When it is so, then we find no reason to interfere with the impugned order passed by the Tribunal and the same is hereby sustained alongwith the reasons mentioned therein"

2- उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1442/XXXI-818-1957 दिनांक 22-5-1957 के प्रसार-2 (1) (63) में

उल्लिखित 'शिल्पकार' जाति में 28 उपजातियाँ हैं जिसमें 'कुम्हार' जाति भी सम्मिलित है। अतएव कृपया कुम्हार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में मानते हुए अनुसूचित आवश्यक लाभ प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

ॐ

(राम गोपाल मोदी)

विशेष सचिव।

संख्या-87(1)/28-3-2014(15)/2007/तहसिलदार

उपरोक्त की प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आशा है,

ॐ

(राम गोपाल मोदी)

विशेष सचिव।